

छत्तीसगढ़ शासन
जल ससाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1573 / एफ-1-18/31/एस-2/2020
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल ससाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- राजनादगांव जिले के विकासखंड-खैरागढ़ की खुरे जलाशय फीडर नहर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

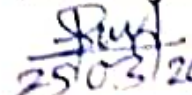
संदर्भ :- 1. प्रमुख अभियंता का पत्र क्र-07/सो.प./प्रशा.स्वी./2020/3338 दिनांक 18.03.2020
2. मुख्य अभियंता का पत्र क्र-29/डी-2/मगोक/2019/2022, रायपुर दि. 03.03.2021

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा राजनादगांव जिले के विकासखंड-खैरागढ़ की खुरे जलाशय फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 285389 लाख (रुपये अट्ठाईस करोड़ तिरपन लाख नवासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्य के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई (1917 हेक्टेयर) में 1050 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति एवं 150 हेक्टेयर रबी सिंचाई सहित कुल 2067 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कड़िका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग सख्या-23-जल ससाधन विभाग, लेखा शीर्ष-4701, मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [10]-रुसे परियोजना [800]-अन्य व्यय 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (2898) बॉंध तथा सत्पन कार्य, #26-वृहद् निर्माण कार्य 005 बॉंध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जायक क्र-1488/बजट-2/वित्त/भार/2021, दि. 24.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में भित्तव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

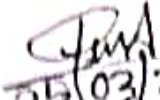

25/03/2021
(प्रेमसिंह धरेन्द)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल ससाधन विभाग

पृष्ठ 1574 एफ-1-18/31/एस-2/2020

नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

संक्षेपित

1. अगस्त मूल्य सचिव भारतीय मुस्लिम लीग इस्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. विल सचिव भारतीय मुस्लिम लीग (विभाग), इस्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विरोध सम्बन्धक भारतीय मंत्री ली अल संसाधन विभाग, इस्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (विभाग) इस्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव अल संसाधन विभाग इस्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महासेवाकार लीसा एन लकनवी लीसी भाइरा मन्नीवावाकार रोड रायपुर।
7. महासेवाकार (लीसा परीक्षा) लीसी भाइरा मन्नीवावाकार रोड रायपुर।
8. कर्तव्यकर्म जिला, राजधानी (र.ग.)।
9. संसाधनक लकनवी संसाधनक इस्तीसगढ़ शासन, अटल नगर।
10. मन्त्रालय अभियंता अल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन, मार्ग ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. लक संसाधनक मन्त्रालय में प्रवेश कक्षा क. एम. 4-22 अटल नगर।
12. अलीशान अभियंता एम.आई.एस. युनिट कार्यालय प्रमुख अभियंता शिवनाथ भवन, मार्ग ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर, अटल नगर।
13. अलीशान अभियंता अल संसाधन शिवनाथ मन्त्रालय दुर्ग जिला-दुर्ग (र.ग.)।
14. कार्यालय अभियंता अल संसाधन विभाग इस्तीसगढ़ शासन जिला राजधानी (र.ग.)।
15. भी और सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अपेक्षित।
16. आदेश फोल्डर।


 25/03/2021
 अगस्त सचिव
 इस्तीसगढ़ शासन
 अल संसाधन विभाग
 (4)